

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(13)गृह-1/2025 (27429)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 13.01.2026 को आयोजित बैठक की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की हायर सुपरटाईम स्केल की वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को सुपरटाईम स्केल से हायर सुपर टाईम स्केल में योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी सुश्री/सर्वश्री	वर्ग	जन्म तिथि	रिक्ति दिनांक
1.	श्री लखमनराय राठौड़	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	02.09.2025	01.04.2025
2.	श्री ठाकुर चन्द्रशील	सामान्य	14.10.1971	01.08.2025
3.	श्री प्रकाश कुमार शर्मा	सामान्य	23.10.1970	02.09.2025
4.	श्री राकेश काछवाल	सामान्य	12.02.1972	02.09.2025
5.	श्री रामकुमार कस्वां	सामान्य	04.06.1975	02.09.2025
6.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी	सामान्य	25.02.1976	02.09.2025
7.	श्री सौरभ कोठारी	सामान्य	13.12.1975	02.09.2025
8.	श्री पवन कुमार जैन	सामान्य	29.07.1975	01.12.2025
9.	श्री सैयद मुस्तफा अली जैदी	सामान्य	09.05.1967	01.01.2026

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

